such as Customs, Revenue intelligence, CBI, Police, BSF, ITBP, RPF and Foreign Post Offices, Traffic-India and Wildlife authorities to enable effective inter-departmental cooperation and coordination to deal with the problem of illegal trade in wildlife and wildlife products.

(ii) Training programmes on enforcement and implementation and wildlife and other related laws and international conventions have been organised for all the enforcement agencies in Feburary and November, 1995.

(iii) Raids are carried out by the wildlife authorities, in cooperation with other enforcement agencies, if necessary, whenever information of illegal trading in wildlife is received.

(iv) India is a signatory to the Convention on International Trade in Endangred Species of Wild Fauna and Flora (CITES) under which international trade in endangered species and their parts and derivatives is strictly regulated.

(v) Rewards are given to informers for gathering intelligence regarding illegal trade and smuggling of wildlife products.

(vi) A committee set up by this Ministry to look into issues related to illegal trade in wildlife and wildlife products has recommended specific measures to deal with this problem and these are being followed up with the States for implementation.

(vii) Regional and sub-regional offices of Wildlife Preservation have been set-up mainly at the major export centres of the country to prevent illegal trade and smuggling of wildlife products.

सांसद/अतिमहत्पूर्ण व्यक्तियों के कोटे के अंतर्गत गैस कनेक्शन

932. **श्री रामजी लाल** :क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष उनके द्वारा अपने कोटे में से कितने लोगों को कितने गैस कनेक्शन तथा इनमें से अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों /सांसदों की सिफारिश पर भी कितने गैस कनेक्शन संसवीकृत किए गए,

(ख) कुल कितने सांसदों की ओर से सिफारिशों प्राप्त हुई थी और कितने सांसदों की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया,

(ग) इस संबंध में किन-किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(घ) क्या जिन सांसदों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जाता है, उनको कोई उत्तर भेजा जाता है, और

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ड.) 1.1.95 से 30.11.95 की अवधि के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की संस्तुति पर 91694 घरेलु एल.पी.जी. कनैक्शन जारी करने के लिए एल.पी.जी. विपणन कंपनियों को आदेश दिए गए हैं । ये कनैक्शन व्यक्तियों के अनुरोध पर तथा तात्कालिक एंव उचित मामलों में सरकार के विवेक पर एंव सांसदों तथा पूर्व सांसदो जन प्रतिनिधियों की सिफारिशों पर अनुमोदित किए गए हैं । जिन वयक्तियों को तथा जिनकी सिफारिशों पर ये कनैक्शन जारी किए गए हैं उनके संबंध में जानकारी को एकत्र करने में शामिल प्रयास, वांछित उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता

933. **श्री रामजी लाल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई,

(ग) तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार के पास इस संबध में कितने आवेदन-पत्र विचारधीन पड़े हैं और इन आवेदन-पत्रों को निपटाने के बाद सरकार द्वारा हरियाणा में कितने ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें चला रहा है । योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन अथवा विस्तार, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, सुअर मांस, पॉल्ट्री और अन्य मांस तथा मांस प्रसंस्करण सुविधाओं,टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए विपणन समर्थन,कोल्ड चेन की स्थापना, गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की खरीद पर ब्याज सब्सिडी, खाद्य प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग में अनुसंधान तथा विकास तथा कतिपय क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार के संगठनों/संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र की यूनिटों/सहकारिताओं/स्वंयसेवी संगठनों आदि को ब्याज मुक्त ऋण /अनुदान सहायता/सब्सिडी दी जाती है । निधि का आंबटन राज्य विशेष के आधार पर नहीं किया जाता क्योंकि प्रस्तावों को परियोजना के आधार पर मंजूरी दी जाती है ।

(घ) मंत्रालय स्वंय किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता । विभिन्न राज्य से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । हरियाणा राज्य का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

काटे गए/लगाए गए पेडों के बारे में किया गया सर्वेक्षण

934. **श्री नागमणि** :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष काटे गए और लगाए गए पेडों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने देश में वृक्षारोपण की संभावनाओं का पता लगाया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है, और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान काटे गए पेडो की संख्या मालूम करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया । तथापि, 1991-92 तथा 192-93 के दौरान की गई पौधरोपण के सबंध में देश के 44 जिलों, जिनका याच्छिका चयन किया गया, मे पौधारोपण की उत्तरजीविता का सर्वेक्षण किया गया और ब्यौरे विवरण I-II में दिखाए गए हैं । (नीचे देखिए)

भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन आवरण की निरन्तर निगरानी करता है और दो साल के अंतराल में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता हैं ।

(ग)और (घ) जी, हां । बीस सूत्री कार्यक्रम केतहत देश भर में वनीकरण और पौधरोपण गतिविधियां चलाई जाती है । बशर्ते केन्द्रीय राज्य योजनाओं के तहत इसके लिए समग्र रूप से निधियां उपलब्ध हों । वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए क्रमश: 79288.02 लाख रूपए 90177.14 लाख रूपए और 91599.21 लाख रूपए की निधियां बंटित की गई । इसी प्रकार पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी भूमि पर पौधरोपण के लिए पौध वितरण की उपलब्धि क्रमश: 12450.87, 11097.61 और 10810.65 लाख है और कवर किया जाता है क्षेत्र जिसमें वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि शमिल है क्रमश: 10622225.52, 96380, 963888.17 और 984102.05 हेक्टेयर है ।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता ।